

समाचार-प्रकाशनाथः-

विधायक मा० श्री काश्यप द्वारा प्रतिदिन पेयजल वितरण का शुभारंभ
कस्तुरबा नगर टंकी के 2 झोन में प्रतिदिन जलप्रदाय प्रारंभ

रतलाम 14 दिसंबर । हर घर में नल हो और नल से प्रतिदिन पानी मिलेएप्रदेश के यशस्वी
मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सपने को प्रतिदिन जल वितरण की पुनः
शुरुवात कर हम आज पुरा करने जा रहे हैं।

उक्त उद्धार विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य काश्यप् ने कस्तुरबा नगर टंकी पर
कस्तुरबा नगर के 2 झोन के क्षेत्रों में प्रतिदिन पेयजल वितरण कार्य के शुभारम्भ अवसर पर
व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि नगर के नागरिकों को 20.25 वर्ष पहले प्रतिदिन पेयजल
मिलता थाए इसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन पेयजल वितरण का कार्य किया जाता
रहा है। प्रतिदिन पेयजल वितरण किये जाने हेतु कोई कदम ना उठने पर यह एक सपना ही
रह गया था।

विधायक माननीय श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम नगर की पेयजल व्यवस्था को ओर अधिक
सुदृढ बनाने हेतु यूआईडीएसएसएमटी योजना के तहत 2040 तक के मान से व्यवस्था की
गई थीएकिन्तु इससे पेयजल व्यवस्था में सुधार ना होकर समस्या जस की तस बनी हुई थी।
श्री काश्यप ने कहा कि पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए तीन पेयजल टंकियों व
सम्बन्धो का निर्माण कराया गयाथ साथ ही पाईप लाईन विहिन क्षेत्रों में 160 किलोमीटर से
अधिक पेयजल पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनान्तर्गत
कार्य करवाया गयाएतब जाकर नगर की पेयजल व्यवस्था में सुधार हुआ।

उन्होंने कहा कि आज हम कस्तुरबा नगर टंकी के दोनो झोन के क्षेत्रों में प्रतिदिन पेयजल
वितरण की शुरुआत कर रहे हैए शीघ्र ही हम पुरे रतलाम शहर में प्रतिदिन पेयजल वितरण
किये जाने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि
नगर के नागरिकों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर निगम द्वारा तीव्र गति
से कार्य किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है नागरिकों का भी
कर्तव्य है कि प्रतिदिन पेयजल वितरण होने पर वे पानी का भण्डारण ना करेंए पानी का
अपव्यय ना करेंए जल है तो कल है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस अवसर प्रतिदिन पेयजल वितरण की कार्ययोजना
से अवगत कराते हुए कहा कि पेयजल व्यवस्था को सुदृढ बनाये जाने हेतु विभिन्न स्तरों
कार्य किये गये हैं जिसके तहत रतलाम जल शक्ति अभियान व्हाट्स एप ग्रुप बनाया जाकर
उसके माध्यम से पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज का कार्य तीव्र गति कार्य किया जा रहा है।
सांसद रतलाम झाबुआ माननीय श्री गुमान सिंह डामोरए विधायक रतलाम षहर माननीय श्री
चेतन्य जी काश्यपए संभागीय आयुक्त श्री आनन्द कुमार षर्माए कलेक्टर एवं प्रशासक नगर

पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी चीफ इंजीनियर उज्जैन संभाग श्री पुनीत दुबेए मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी मैनेजिंग डायरेक्टर इंदौर झोन के लगातार प्रयासों तथा निर्देश व मार्गदर्शन के तहत अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी रतलाम श्री सोनी व उनकी टीम द्वारा पावर कट व विद्युत फाल्ट के कार्य में तेजी से सुधार किये जाने के परिणामस्वरूप प्रतिदिन जलप्रदाय किये जाने हेतु अग्रसर हुए हैं।

प्रारंभ में विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवालए झुग्गी झोपड़ी प्रकोश्ट की प्रदेश सह संयोजक श्रीमती अनिता कटारियाए पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री बजरंग पुरोहितए भाजपा जिला महामंत्री श्री प्रदीप उपाध्यायए श्री मनोहर पोरवालए मण्डल अध्यक्ष सर्वश्री मयूर पुरोहितए कृष्ण कुमार सोनीए कर्णधीर बड़गोत्याए पूर्व पार्शद सर्वश्री अरूण रावए प्रहलाद पटेलए पवन सोमानीए श्रीमती मनीशा षर्माए श्रीमती सीमा टांकए श्रीमती सोना षर्माए श्रीमती अनिता कटाराए पूर्व मण्डल अध्यक्ष श्री दिनेष षर्माए श्री संतोश पोरवालए के अलावा श्री राकेश परमारए श्री मनोज षर्माए श्री बंटी षर्माए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए सहायक यंत्री श्री प्याम सोनीए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए मनीश तिवारीए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह आदि के द्वारा टंकी का वॉल्व खोलकर प्रतिदिन पेयजल वितरण कार्य का शुभारंभ किया गया। तत् पश्चात निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आमंत्रित अतिथियों को पुशप गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास ने किया व आभार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने माना।

डोसी गांव में विधायक निधि से बनेगा नवीन सांस्कृतिक भवन
विधायक मा० श्री काश्यप ने किया कार्य का भूमि पूजन

रतलाम 14 दिसम्बर। डोसी गांव जो कि रतलाम नगर के वार्ड में शामिल है किन्तु शहर से कुछ दूरी पर होने से यह क्षेत्र कुछ वर्ष पहले तक विकास से उपेक्षित था। अब यहां निरंतर विकास हो रहा है इसी कड़ी में अब यहां नवीन सांस्कृतिक भवन बन रहा है।

उक्त उद्धार विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने डोसी गांव में पेयजल टंकी के पास की भूमि पर विधायक निधि से निर्मित किये जाने वाले सांस्कृतिक भवन के भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि कि नगर विकास हेतु जो भी योजनाएँ बनती नगर के मध्य क्षेत्र को लेकर बनती है किन्तु नगर का विस्तार बाहरी क्षेत्रों से होता है। अब नगर विकास हेतु बाहरी क्षेत्रों को सम्मिलित कर कार्ययोजनाएँ बनानी होगी। वर्तमान समय में गरीब एवं मध्यम वर्ग के छोटे-मोटे सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में काफी परेशानी उठाना पड़ती है। डोसी गांव रतलाम

नगर से कुछ दूरी पर होने से सांस्कृतिक एव अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में नागरिकों को काफी परेशानी होती है उनकी परेशानियों निदान हेतु सांस्कृतिक भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि वे सुविधा पूर्वक अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकें। उन्होंने कहा कि डोसी गांव के सांस्कृतिक भवन हेतु 1 बड़ा हॉल 2 कमरे निर्माण भोजन निर्माण हेतु शेड बनाये जाने के साथ ही उपलब्ध भूमि की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य भी कराया जायेगा। इस अवसर पर नागरिकों की मांग पर डोसीगांव के स्कूल को हायर सेकेण्डरी करवाये जाने हेतु आश्चस्त किये जाने के साथ ही डोसीगांव का नया नाम रखने हेतु नागरिकों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा।

भाजपा जिला महामंत्री श्री मनोहर पोरवाल ने कहा कि विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप की विकासशील सोच के रहते डोसीगांव अब विकास से अछूता नहीं है। अब इस क्षेत्र में सड़क पेयजल पाईप लाईन पेयजल टंकी आदि सभी की सुविधा उपलब्ध है साथ ही आज नवीन सांस्कृतिक भवन निर्माण की सौगात मिलने जा रही है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद श्री राजेन्द्र वर्मा मण्डल अध्यक्ष श्री आदित्य डागा आदि ने भी सम्बोधित किया।

प्रारंभ में विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप भाजपा जिला महामंत्री श्री मनोहर पोरवाल पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजक श्रीमती अनिता कटारिया मण्डल अध्यक्ष सर्वश्री आदित्य डागा कृष्ण कुमार सोनी कर्णधीर बडगोट्या मयूर प्रोहित के अलावा सर्वश्री राजेन्द्र वर्मा इब्राहिम शैरानी योगेश केथवास दिनेश पटेल मनोज शर्मा राकेश परमार कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा आदि ने विधिवत् पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया।

कार्यक्रम का संचालन श्री मनोज शर्मा ने किया व आभार श्री योगेश केथवास ने माना।

स्वच्छता से मन में सकारात्मक विचार आते हैं

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के सैकड़ों कचरा मुक्त स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश

रतलाम 14 दिसम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छता भक्ति के समान है स्वच्छता का अभ्यास करना एक बहुत अच्छी आदत है और हमें अपने शरीर और मन और आत्मा को स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखकर जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई की ओर ले जाती है।

स्वस्थ शरीर और मन और जीवन में अंतिम सफलता प्राप्त करना हम सभी के लिए स्वच्छ होना बहुत अनिवार्य है। हमारे घर के आसपास की स्वच्छता को बनाए रखना स्वस्थ जीवन का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह केवल स्वच्छता है जो बाहरी और आंतरिक रूप से स्वच्छ रखकर हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करती है।

स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने और अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वच्छ वातावरण जहां हमें डॉक्टरों से दूर रखता है वही चिकित्सा

खर्च और समय की हानि से बचाता है। स्वच्छता से मन में अच्छे और सकारात्मक विचार आते हैं जो रोगों की घटना को धीमा करता है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान मेरी शान स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों बागीचों खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर दू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान सोमवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोग दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर 26 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 14 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की इ्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगीए मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर दिनेश राठौरए जीवन प्रजापति पर 1000.1000ए राकेश पर 500 व भवानी बाजना बस स्टैण्ड पर 250ए इसी तरह बाजना बस स्टैण्ड व सागोद रोड क्षेत्र में 22 सब्जी विक्रेताओं द्वारा गंदगी करने पर 50.50 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 14 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्ताए अखबारए लोहाए कपडाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला इस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा

रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

पैलेस रोड पर आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर
बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें
नागरिकों ने 37ए05ए253६. संपत्तिकर व 10ए83ए275६. जलकर जमा कराया
संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 14 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी उद्योग-धन्धे में गिरावट सर्विस सेक्टर आदि में पिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुफ्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये हैं जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर जलकर दुकान गुमटी किराया लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किफ्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुफ्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते हैं।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2ए38ए224६. व जलकर 43ए460६.ए मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3ए66ए429६. व जलकर 43ए830६.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2ए69ए336६. व जलकर 41ए850६.ए विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3ए94ए652६. व जलकर 1ए06ए050६.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4ए54ए616६. व जलकर 84ए000६.ए तिरुपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55ए700६. व जलकर 14ए800६.ए कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65ए133६. व जलकर 18ए430६.ए इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए04ए310६. व जलकर 37ए520६.ए कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए63ए070६. व जलकर 41ए200६.ए प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54ए244६. व जलकर 31ए700६.ए डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए87ए800६. व जलकर 13ए500६.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89ए439६. व जलकर 29ए500६.ए डॉ० मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए23ए843६. व जलकर 80ए000६.ए वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78ए232६. व जलकर 24ए800६.ए दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95ए424६. व जलकर 46ए350६.ए बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2ए61ए000६. व जलकर 45ए500६.ए लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2ए58ए000६. व जलकर 90ए310६.ए धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर

2ए39ए000ए. व जलकर 1ए58ए845ए.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 94ए633ए. व जलकर 24ए500ए.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए31ए093ए. व जलकर 68ए580ए.ए महावीर नगर षिविर में जलकर 45ए550ए. की एक मुफ्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित षिविरों में 37ए81ए253ए. संपत्तिकर व 10ए83ए275ए. जलकर की राशि जमा कराई।

वाई वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के तहत वाई क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहाए वाई क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरूए वाई क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वाई क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वाई क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वाई क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वाई क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुफ्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वाई वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वाई में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुफ्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते हैं।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10ए000ए. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10ए000ए. ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20ए000ए. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20ए000ए. ;बीस हजार) से

50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **50** प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रुपये **50ए000६.** ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में **25** प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

53 दिनों में **80** वॉल्व व **388** पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम **14** दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा **23** अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत **14** दिसम्बर तक **80** वॉल्व व **388** पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत **14** दिसम्बर सोमवार को सुदामा परिसर गली नम्बर **3ए** शास्त्री नगर वाजपेयी जी के घर के सामनेए नूरी गेस्ट हाउस के सामनेए दीनदयाल नगर पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल के सामनेए काटजू नगर टावर के पास व दीनदयाल नगर ऑटो स्टैंड के सामने पाईप लाईन लीकेज तथा छत्रीपुलए दिवाकर ऑटो पाटर्स् के सामनेए शैरानी पुराए रत्नेश्वर रोडए विनोबा नगरए कस्तुरबा नगर त्रिवेदी आटा चक्की के सामनेए टेलीफोन नगर में वॉल्व मरम्मत का कार्य करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से पकड़े **14** मवेशी

स्वच्छंद विचरण करने वाले **400** मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम **14** दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत **12** अक्टूबर से **14** दिसम्बर तक **400** मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर क्रय किया गया है। नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 14 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 400 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 14 दिसम्बर सोमवार को नगर विभिन्न क्षेत्रों से 14 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है। ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह ए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान ए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/14१12१2020धन.पा.निगम ए रतलाम.